भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 257*

13 मार्च, 2018 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को उत्पादन राजसहायता

***257. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति ने किसानों को उत्पादन राजसहायता तथा सरकारी अधिप्रापण एजेंसियों को अतिरिक्त आवंटन करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दालों के निर्यात पर रोक लगाने तथा उनके भंडार को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दालों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनकी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री राधा मोहन सिंह)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.03.2018 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): उन नीति मुद्दों के समाधान के लिए जो दलहन में कृषि क्षेत्र, उत्पादन और मूल्य में कमी या वृद्धि के समाधान में मदद करेंगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) को सभी पक्षकारों से विचार विमर्श करके उपाय सुझाने के लिए कहा गया था। व्यापक विचार-विमर्शों के आधार पर मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश की गई थी: रबी 2016-17 के लिए चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4000 रू./क्विंटल; खरीफ 2017-18 के लिए तूर और उड़द का 6000 रू./क्विंटल; और इसी प्रकार अन्य दलहनों के एमएसपी में भी तूर, उड़द और चना के लिए यथा आकलित अनुसार समान प्रतिशत वृद्धि की जाए। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई थी कि दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचित क्षेत्रों में दलहन उगाने हेतु किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति क्विंटल लगभग 1000 से 1500 रू. उत्पादन सब्सिडी का देने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि सरकार विभिन्न खरीद एजेंसियों को 10,000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन करे क्योंकि बाजार मूल्य में तेजी से गिरावट को रोकना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी खरीद आवश्यक है।

सरकार ने रबी 2016-17 के लिए चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4000 रू. प्रति क्विंटल (200 रू./क्विंटल बोनस सहित) निर्धारित किया था। खरीफ 2017-18 के लिए तूर और उड़द का एमएसपी क्रमश: 5450 रू. प्रति क्विंटल (200 रू./क्विंटल बोनस सहित) और 5400 रू. प्रति क्विंटल (200 रू./क्विंटल बोनस सहित) निर्धारित किया गया था। सरकार द्वारा 2017-18 के लिए तूर और उड़द के लिए निर्धारित एमएसपी अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत (ए2+एफएल) के ऊपर क्रमश: 64.3 प्रतिशत और 65.4 प्रतिशत का लाभ देता है। रबी 2016-17 के लिए मसूर का एमएसपी 3950 रू. प्रति क्विंटल (150 रू./क्विंटल बोनस सहित) निर्धारित किया गया था। खरीफ 2017-18 के लिए मूंग का एमएसपी 5575 रू. प्रति क्विंटल (200 रू./क्विंटल बोनस सहित) निर्धारित किया गया था।

मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत, केंद्रीय बफर भंडार के लिए दलहन की खरीद बाजार मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, जो भी अधिक हो, और इसके अलावा, आयात के माध्यम से कमी को पूरा किया जाता है। सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पीएसएफ के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से दलहन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का संचालन करती है जिसमें राज्य एजेंसियों की मुख्य भूमिका होती है। इस योजना का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया जाता है जो योजना के दिशा-निर्देशों की अपेक्षानुसार खरीद की गई जिन्सों को मंडी कर की वसूली से छूट देने, बोरियों सहित लोजिस्टिक व्यवस्थाओं में खरीद एजेंसियों की सहायता करने, राज्य एजेंसियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने एवं पीएसएस प्रचालनों के लिए चक्रीय निधि का सृजन करने आदि पर सहमत होते हैं। मूल्य समर्थन योजना का मूल उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है ताकि उच्चतर पूंजी निवेश एवं उत्पादन को प्रात्साहित किया जा सके तथा मध्यस्थता की कम लागत के साथ उचित मूल्य पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की

रक्षा की जा सके। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, दलहनों की खरीद स्तर में 2015-16 में 0.50 लाख टन से 2016-17 में 17.39 लाख टन तक की पर्याप्त वृद्धि हुई है। 2017-18 के दौरान (05.03.2018 तक) सरकार ने 12.03 लाख टन की खरीद की। सरकारी उपायों के परिणामस्वरूप, 2016-17 में दलहनों का उत्पादन 23.13 मिलियन टन अधिक था तथा दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017-18 में 23.95 मिलियन टन का अनुमान है।

(ग) तथा (घ): समिति की एक सिफारिश दलहनों पर निर्यात प्रतिबंध को हटाने की थी। चूंकि नवंबर, 2017 में दलहनों का उत्पादन रिकार्ड स्तरों तक पहुंच गया था तथा दलहनों के मूल्य स्थिर हो गए थे, अत: सरकार ने सभी प्रकार की दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा लिया था। सभी प्रकार की दलहनों के निर्यात को अनुमति देने से किसानों को लाभकारी मूल्यों पर अपने उत्पादों का बेचने में सहायता मिलेगी, वैकल्पिक बाजार प्राप्त होगा तथा बुआई क्षेत्र का विस्तार करने में भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। दलहनों के निर्यात की अनुमति प्रदान करने से भी देश तथा इसके निर्यातकर्ताओं को अपने बाजार को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने कृषि पैदावार में वृद्धि करने के लिए अनेक पहल किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएनएम), भू स्वास्थ्य कार्ड, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) शामिल हैं। 2016-17 में दलहनों के बंपर उत्पादन के परिणामस्वरूप, 2017-18 में दलहनों का औसत थोक मूल्य में कमी हुई थी। दलहनों की मुद्रास्फीति दर 2015-16 में 34.8 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 17.6 प्रतिशत तथा 2017-18 (अप्रैल-जनवरी) में और अधिक घटकर (-)17.5 प्रतिशत हो गई है।

*****